In the court of Virendra Kumar Chaubey, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No-1851/2012 State vrs. Madan Prasad Singh

FORM A

न्यायालयः— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष—सह—विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मधेपुरा।

उपस्थित : (वीरेन्द्र कुमार चौबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
—सह—विशेष न्यायाधीश,
मधेपुरा

GR CASE NO.-1851/2012
C.I.S.No.- 128/2014

उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या—125/2012
(निर्णय की तिथिः—17.03.2026)

सूचक	राज्य द्वारा सूचक **शकुन्तला देवी पति श्री राजेन्द्र पासवान**, सा0 उदाकिशुनगंज, थाना—उदाकिशुनगंज एवं जिला मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	श्री **पुरूषोत्तम यादव,** विद्वान लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**बनाम** 1. **मदन प्रसाद सिंह** पिता स्व0 कपिलदेव सिंह उम्र 70 वर्ष सा0 उदाकिशुनगंज, थाना—उदाकिशुनगंज एवं जिला मधेपुरा
बचाव पक्ष की ओर से	श्रीमती **संध्या कुमारी एवं राकेश कुमार,** विद्वान अधिवक्ता ।

FORM B

अपराध की तिथि—	दिनांक—18.09.2012
प्राथमिकी की तिथि—	दिनांक—19.09.2012
अन्तिम प्रपत्र की तिथि—	दिनांक—30.12.2012
अपराध का संज्ञान की तिथि—	दिनांक—01.02.2013
आरोप गठन की तिथि—	दिनांक 28.02.2014
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक—07.05.2014
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि—	दिनांक—12.03.2026
निर्णय की तिथि—	दिनांक—17.03.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषसिद्ध या दोषमुक्त	**सजा**

In the court of Virendra Kumar Chaubey, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No-1851/2012 State vrs. Madan Prasad Singh

1.मदन प्रसाद सिंह	--------	03-12-2012	u/s- Act. 342/34,325/34 ,504/34 I.P.C & 3(1)(x) SC/ ST Act.	धारा 341/34,504/34 भारतीय दंड विधान में अभियुक्त मदन प्रसाद सिंह को आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। परन्तु अभियुक्त को धारा 325 भरतीय दंड विधान के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया।	परिवीक्षा अधि. की धारा (4) का लाभ देते हुए तीन वर्ष तक परिशांति कायम रखने हेतु बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ( )
PW-1	हरे राम	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-2	बुलो देवी	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-3	शकुन्तला देवी	अभियोजन साक्षी (सूचिका)
PW-4	राजेन्द्र पासवान	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-5	डॉ विनय कृष्ण प्रसाद	अभियोजन साक्षी (चिकित्सक)
PW-6	राजीव कुमार	अभियोजन साक्षी (अनुसंधानकर्ता)
PW-7	संजय कुमार	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य

Sr. No,	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--------		बचाव साक्षी(..................)

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
1	Ext-1	लिखित आवेदन पर साक्षी का निशान
2	Ext-2	लिखित आवेदन पर कातिक राजेन्द्र पासवान का हस्ताक्षर।

बचाव पक्ष

Sr. No,	Exhibit Number	Description

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **.मदन प्रसाद सिंह** के विरूद्ध धारा 342/34,325/34,504/34 भारतीय दंड विधान एवं धारा **3(1)(x) SC/ST Act.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप गठित करके उसके सार को हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवं

विचारण का दावा किया।

2. सूचिका के फर्द बयान के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–18.09.2012 रोज मंगलवार के संध्या लगभग 4.30 बजे अपनी बकरी को लाने गयी, जहाँ रोज पड़ती खेत में चरने के लिए खुंटा में बाँधती थी, वहाँ बकरी को नहीं देखकर खोजने लगी। बकरी थोरी दूर पर मदन सिंह के खेत में लगे मनेजरा के पत्ता को खा रही थी। जब वह अपनी बकरी को पकड़ने लगी तो मदन सिंह वहाँ जगल में बैठा था। हाथ में लाठी लिये उसके पास आकर जाति सूचक (दूसाधनिया) नाम से भद्दी–भद्दी गाली देने लगा और हाथ पकड़कर खींचने लगा। उसके द्वारा विरोध करने पर अपने हाथ में लिये लाठी से दाहिना हाथ के पहुँचा पर मारकर हाथ तोर दिया। उसके साथ बुलो देवी भी अपनी बकरी को चरा रही थी, हल्ला करने पर बुलो देवी उसे बचाने आयी। मदन सिंह बुलो देवी के सिर पर लाठी से मारा, जिससे बुलो देवी का सिर फट गया और खुन बहने लगा। बुलो देवी और उसके शरीर के कई अंग पर लाठी से मारकर जख्मी कर दिया। मदन सिंह के साथ में एक और आदमी था जो अपने मुँह को गमछा से ढके हुए था। उनदोनों को मदन सिंह और उसके साथ वाला आदमी हाथ पकड़ खींचते हुए मदन सिंह के घर में कोठरी में बंद कर दिया। मदन सिंह डाक्टर को बुलाकर एक्स–रे करा दिया। मदन सिंह डाक्टर को बुलाकर उसके हाथ में कच्चा प्लास्टर करवाया और बुलो देवी के फटे माथा से दवाई पट्टी के साथ–साथ सूई गोली देकर बहुत रात में छोड़ दिया और धमकी दिया कि अगर किसी को उसका नाम कहा तो इससे भी गंभीर परिणाम भुगतना होगा। वह जब अपने घर आयी तो पता चला कि उसके पति आवश्यक काम से बाहर चले गये हैं। उसे एक मात्र छोटा लड़का है और रात काफी हो जाने के कारण थाना नहीं आ सकी। आज उसके पति के आने पर आप बीती सारी घटना को सुनाई और अपने पति के साथ दिनांक– 19.09.2012 को थाना पर आकर लिखित बयान दी।

3. सूचिका के फर्द बयान के आधार पर थाना प्रभारी उदाकिशुनगंज के द्वारा अभियुक्त के विरूद्व उदाकिशुनगंज थाना कांड सं.–125/2012 दिनांक 19.09.2012 अन्तर्गत धारा **341, 342,323,325,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act** में दर्ज किया गया तथा उक्त कांड का अनुसंधान का भार पु.अ.नि. के.के.चौधरी को सौंपा गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानों उपरांत मामले को सत्य पाते हुए प्रस्तुत वाद में अभियुक्त के विरूद्व धारा **341, 342,323,325,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act** के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं.–140/2012 दिनांक 30.12.2012 समर्पित किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 01.02.2013 संज्ञान आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत वाद उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक– 20.12.2013 को इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने के उपरांत विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल सात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः **अभियोजन साक्षी सं.–1. हरे राम, अभियोजन साक्षी सं.–2 बुलो देवी,**

अभियोजन साक्षी सं.–3 शकुन्तला देवी, अभियोजन साक्षी सं.–4 राजेन्द्र पासवान, अभियोजन साक्षी सं.–5 डॉ विनय कृष्ण प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं.–6. राजीव कुमार एवं अभियोजन साक्षी सं.–7 संजय कुमार का साक्ष्य कराये हैं।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त का कथन दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, अभियुक्त ने साक्षियों के कथन एवं अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा सफाई में अपने को निर्दोष बताया। उसके द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. अब इस विशेष न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

7. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल **सात** अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः **अभियोजन साक्षी सं.–1. हरे राम, अभियोजन साक्षी सं.–2 बुलो देवी, अभियोजन साक्षी सं.–3 शकुन्तला देवी, अभियोजन साक्षी सं.–4 राजेन्द्र पासवान, अभियोजन साक्षी सं.–5 डॉ विनय कृष्ण प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं.–6. राजीव कुमार एवं अभियोजन साक्षी सं.–7 संजय कुमार** का साक्ष्य कराया गया है। तथा दस्तावेजी साक्षय के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा **Ext-1** लिखित आवेदन पर साक्षी का निशान, **Ext-2** लिखित आवेदन पर कातिक राजेन्द्र पासवान का हस्ताक्षर प्रदर्श अंकित कराया गया है।

8. सुविधा की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम इस काण्ड के सूचिका के साक्ष्य का ही विवेचना करना मैं उचित समझता हूँ। **अभियोजन साक्षी संख्या–3 शकुन्तला देवी** जो इस काण्ड के स्वयं सूचिका हैं तथा जिनका साक्ष्य न्यायालय में दिनांक 17.11.2014 को अंकित किया गया है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि घटना दो साल से अधिक हुआ है। समय लगभग 04.00 बजे था। उसकी बकरी परती खेत में खूंटा में बंधा हुआ था। जब वह बकरी को लेने गयी तो बकरी जहॉ बंधी थी वहॉ नहीं मिली। उक्त बकरी मदन सिंह के मनिजरा खेत में चली गयी। जब वह अपनी बकरी को पकड़ने गयी तो मदन सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति निकल कर उसका हाथ पकड़ लिया और भद्दी–भद्दी गाली दुसादिनी कह कर देने लगा। वहॉ पर एक औरत और जिसका नाम बुलो देवी थी बचाने आयी तो उसे भी मदन सिंह उसे भी लाठी से पीठ पर मारा। बुलो देवी एवं उसको मदन सिंह जबददस्ती अपने आवास के क्लीनिक पर ले गये जहॉ जबरदस्ती उसका एवं बुलो देवी का ईलाज किये। वह तथा बुलो देवी जब जाने के लिए जोर देने लगी तो मदन सिंह अंततः करीब 9 बजे रात्रि को वे लोग के घर गये। घर आने पर उसका बच्चा था। पति नहीं था। वह अपने पति को खबर दी। दूसरे दिन

जब पति आये तो पति को लेकर थाना गये। थाना पर घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया था जो उसके पति राजेन्द्र पासी ने लिखा था जिस पर वह और बुलो देवी ने अपना निशान दिया था तथा उसके पति ने अपना दस्तखत किया था। साक्षी पहचान रही है इसे **प्रदर्श –1 अंकित** किया जाता है। थाना से वह और बुलो देवी ईलाज के लिए अस्पताल आयी जहाँ उसका ईलाज हुआ। हाजीर अदालत मुदालय मदन सिंह को साक्षी पहचान रहीं है।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उसके पास चार बकरियाँ है। उसके यहाँ बकरी चराने के लिए कोई नहीं है। जिस खेत में बकरी गयी थी। उस मनीजरा खेत की चौहदी नहीं कह सकती। मनीजरा की फसल 7–8 कट्ठा में लगा था। मनीजरा का खेत मुदालय का ही है। उसके गांव में सब्जी–आलू गोभी वगैरह की फसल होती है। अगर उसके फसल लगी खेत में कोई मवेशी खेत चर जाता है तो वह उक्त मवेशी को भगाती। मनीजरा का गाछ मोटा होता है और बहुत बड़ा–बड़ा होता है। यदि मनीजरा का पौध घना रहेगा तो उसमें लोगों को घुसने में दिक्कत होती है तथा शरीर छिलाने का डर रहता है। मनीजरा के खेत में उसके दाहिने हाथ में चोट लगा था। इसके अलावे और कहीं चोट नहीं लगा था। उस समय जब वह लोग मनीजरा खेत में थे वह और बुलो देवी के अलावे अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। मुदालय डॉक्टरी का भी काम करते है और दवा की भी दुकान है। वह मनीजरा का खेत उसके घर से दक्षिण लगभग 200 मीटर है। वहाँ से मुदालय का घर बगल में है। दवा का दुकान मुदालय के दरवाजे पर ही है। उसका एवं मुदालय का घर एक ही गांव में है। उसकी बिरादरी का घर उसके टोला में चार पांच घर ही है। उस गॉव के अन्य टोला में भी उसके बिरादरी के लोग है। उस गांव में सबसे अधिक संख्या ब्रहामण बिरादरी की है। इसके बाद बनिया बिरादरी की है। राजपूत लोगों की आबादी केवल चार पांच घर है। इससे पहले या बाद में मुदालय से किसी प्रकार का झंझट नहीं हुआ था। उसकी जानकारी में उसकी जाति के किसी अन्य व्यक्ति से भी मुदालय का झंझट नहीं हुआ है। उसके गांव में ब्रहामण और राजपूत बिरादरी के बीच आपसी मेल रहता है। ऐसी बात नहीं है कि वह विरोधी पार्टी के कहने पर यह झूठा मुकदमा किया है। कह कहना गलत है कि जैसा उसे बयान दिया वैसी कोई घटना नहीं है।

09. **अभियोजन साक्षी सं0 04 राजेन्द्र पासवान है,** जिसने दिनांक–20/03/2015 को साक्ष्य के कम में अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की घटना ढ़ाई साल पूर्व की है। उस समय वह अपने बहन के गॉव भवानीपुर गया हुआ था। उसे फोन द्वारा उसका पुत्र संजय सूचित किया कि और वापस आने के लिए बोला। उसके सूचना पर वह दिनांक 19/09/2012 को किशुनगंज अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पत्नी द्वारा उसे मालूम हुआ कि वह रोज अपने बकरी को परती खेत में बांधती थी। दिनांक 18/09/2012 को लगभग 04.30 बजे शाम में जब बकरी लाने गयी तो बकरी खूंटा में से खुली हुई थी। उस पर वह बोली कि वह बकरी को खोजने लगी। खोजने के कम में बकरी मदन के मनिजरा खेत में मिली। जब वह बकरी पकड़ने के लिए गयी तो उसी जगह मदन सिंह जो पहले से वहाँ था उसकी पत्नी का हाथ पकड़ने लगा पत्नी ने विरोध किया। इस पर पत्नी के बांये हाथ पर लाठी से मार दिया। लाठी से मारने पर हाथ टुट गया। बगल में बुलो देवी थी जो उसकी पत्नी को बचाने आयी तो उसे भी मदन सिंह लाठी से सिर पर मारा जिससे उसका सिर फुट गया और खून बहने लगा। मदन सिंह के

साथ एक अन्य व्यक्ति गमछी से मुंह ढके हुए और था। दोनों व्यक्ति दोनों महिलाओं को पकड़कर अपने घर ले गया वही जगह एक प्राइवेट डाक्टर से उन दोनों महिलाओं का इलाज कर दिये। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया गया। दिनांक 19/09/12 को थाने में लिखित आवेदन देकर यह केस दर्ज कराये उक्त आवेदन उसने लिखवाया था। जिस पर उसकी पत्नी का अंगूठा निशानी है। बतौर कातिब उसने अपना हस्ताक्षर किया है। यही वह आवेदन है जिस पर उसका बतौर कातिब हस्ताक्षर हे। इसे **प्रदर्श 2** अंकित करें। पुलिस ने उसका बयान लिया था यही बयान उसने पुलिस में भी दिया था। मुदालय मदन सिंह अदालत हाजीर है। साक्षी पहचान रहे है। ।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उसने ही आवेदन लिखा था। उसके गांव से उसकी बहन के गांव की दूरी लगभग 15–20 किमी होगी। जो भी बयान दिया हूँ वह सुनी सुनाई है। वह नजर से कुछ नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है कि उसकी पत्नी ने केस किया है इसलिए झूठा बयान दिया हूँ।

10. **अभियोजन साक्षी सं0 05 डॉ विनय कृष्ण प्रसाद है,** जिसने दिनांक–09/05/2016 को साक्ष्य के कम में अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि–

On 19/09/2012 I was posted at PHC Udakishunganj as Medical officer. On that day I examined Smt. Bulo Devi aged 45 yrs w/o Domi mandal at village + ps udakishunganj Distt madhepura and found the following injuries on her person-

(i) Abrasion 1 ½ x 1/8 over Rt. Parital area.

(ii) Brain 1 ½ x 1 ¼ over Rt. Wrist joint blackish in colour.

Mark of identification- An old heal scare mark over left index finger.

Age of injury- within 24 hours.

Time of Examination- 2:50 PM, on dated 19.09.2012.

Nature- both the injuries are simple and caused by hard blunt substance.

On the same day I examined 2:55 pm smt. Shakuntala Devi aged about 45 yrs, wife of Rajendra Paswan and found following injuries.

(i) Brain 2 ½ x 2 ½ over left side of buttock blackish in colour.

(ii) Pain and swelling 1 ½ x 1 ¼ over rt. Wrist joint.

X-ray plate clear shown fracture of lower end of Radius bone.

Mark of identification- an old heal scar mark over lf. Index finger

Age of injury within 24 hrs.

Nature- Injury no. 1 is simple where as injury no 2 is grievous caused by hard & blunt substance both injuries report is in pen and bears my

signature.

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि

X-ray plate no. is not mentioned. I have written that x ray plate is attached but in the present time x ray plate is not attached.

The name of injured was incorted on x ray plate

I have not described the depth of injury because depth is not present an bruise injury I have not mentioned the light of swelling.

It is not mentioned that the radius bone fracture is by upper side or lower side.

Injured was not known to me at the time of examination.

I have not absolute the signature LTI of the injured. Name of the injured is present.

11. **अभियोजन साक्षी सं0 07 संजय कुमार है,** जिसने दिनांक–10/01/2024 को साक्ष्य के कम में अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की घटना आज से करीब 12 वर्ष पूर्व संध्या की करीब 4.30 बजे की है। उस समय वह अपने दरवाजे पर था तो वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर बकरी खुल कर मदन सिंह के खेम में चला गया। जब उसकी मॉ शकुन्तला देवी वहां बकरी ढूढने गई तो मदन सिंह गुस्सा में आकर उसकी मॉ को लाठी डंडा से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और जाति सूचक शब्द दुसाधीन कहकर गाली गलौज किये। जब बुलो देवी उसकी मॉ को बचाने आई तो मदन सिंह उसको भी मारपीट कर उसका सर फोड़ दिया। घटना के सबंध में उसकी मॉ शकुन्ताल देवी ने केस किया था। इस केस के अभियुक्त मदन सिंह को पहचानते है। आज न्यायालजय में उपस्थित है।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि अभियुक्त मदन सिंह के जमीन का विवरण वह नहीं जानता है। उसकी चौददी भी नहीं बता सकता है। खेत में मनेजरा का फसल लगा हुआ था। मनेजरा का गाछ तैयार हो जाने पर जानवर के भी काम आता है। खेत में सिर्फ उसकी एक बकरी गई थी। अभियुक्त जब तक बकरी पकड़ने गये थे तब तक बकरी भाग गये थे। अभियुक्त लोग गाली गलौज करते हुए कह रहे थे कि बकरी बांध के रखो फसल नुकसान हो रहा है। जब वह घटनास्थल पर गया तो शकुन्तला देवी और बुलो देवी को जख्मी देखा था। कपड़ा में खून लगा था। अपनी मॉ के साथ थाना में भी गया था। पुलिस को खून लगा कपड़ा दिखा दिया था। उस समय वह 8 कक्षा में गायत्री ज्ञान मंदिर स्कुल में पढ़ता था। उसके घर से स्कूल 20 मीटर की दूरी पर है। स्कूल उसके घर से उत्तर की ओर मनेजरा वाला खेत उसके घर से करीब 100 मीटर पश्चिम में है। उक्त जमीन पर अन्य लोग का फसल है। आसपास वाली जमीन अभियुक्तों का ही है। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तों के फसल को उसकी बकरी नुकसान किया था जिसे अभियुक्तगण मना करने गये और उसी रंजीश से यह झूठा केस अभियुक्तों के विरूद्ध दायर किया है।

Virendra Kr Chaubey
17/3/26

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन **साक्षी संख्या–01 हरेराम, साक्षी संख्या–02 बुलो देवी, एवं साक्षी संख्या–06 राजीव कुमार** ने अपने साक्ष्य में घटना से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का प्रति परीक्षण किया गया परन्तु कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष को लाभ होता हुआ प्रतीत हो।

उभय पक्षों द्वारा किये गये बहस

13. **बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि** अभियोजन के द्वारा आरोप–पत्र में कुल **नौ** साक्षियों में कुल **सात** साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है तथा अनुसंधानकर्त्ता का साक्ष्य नहीं कराया जा सका है। जिससे घटनास्थल की पुष्टि नहीं हो सकी है। उनका यह भी कथन है कि आरोप–पत्र में नामित साक्षी रविन्दर मिस्त्री को अभियोजन द्वारा एक्सपंज कराया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या–1 हरेराम, अभियोजन साक्षी संख्या–2 भूलो देवी जो इस वाद में जख्मी है। अभियोजन साक्षी संख्या–6 राजीव कुमार तीनों को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथा इन्होंने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–3 सूचिका शकुन्तला देवी के साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी भी साक्ष्य से नहीं हो सकी है अभियोजन साक्षी संख्या–4 राजेन्द्र पासवान ने अपने प्रतिपरीक्षण में सुनी सुनायी बातों के आधार पर बयान देने की बात कही है। अभियोजन साक्षी संख्या–7 सूचिका का पुत्र है तथा हितवद्ध साक्षी है ऐसे में उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है तथ्य पर प्रस्तुत अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है ऐसे में चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य महत्वहीन हो जाता है तथा अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को सिद्व करने में पुर्णतः विफल रहे हैं तथा अभियुक्त दोष मुक्ति के योग्य है।

14. **विद्वान विशेष लोक अभियोजन के द्वारा कथन किया गया है कि** अभियोजन की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में कुल **सात** साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या–1 हरे राम, अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुलो देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–6 राजीव कुमार को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथापि अन्य सभी साक्षियों ने अभियोजन वाद का पुर्ण समर्थन किया है विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सूचिका शकुन्तला देवी जो स्वयं जख्मी है ने अपने साक्ष्य स्पष्ट कहा है कि उसकी बकरी अभियुक्त के परती खेत में चली गयी जब वह अपनी बकरी को पकड़ने गयी तो अभियुक्त द्वारा उसका बॉह पकड़ लिया गया तथा गाली–गलौज करने लगा। जब दुलो देवी उसे बचाने आयी तो उसी भी लाठी से पीठ पर मारा, दोनों को जबरदस्ती आवास पर ले जाकर इलाज किया। अभियोजन साक्षी संख्या–4 राजेन्द्र पासवान जो सूचिका के पति ने भी अपने साक्ष्य में बताया है कि उसकी पत्नी को अभियुक्त द्वारा बकरी के विवाद को लेकर लाठी से मारकर हाथ तोड़ दिया गया। बचाने गयी मुलो देवी को भी लाठी से सर पर मारकर सर फाड़ दिया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–5 विमल कृष्ण प्रसाद ने अपने साक्ष्य में जख्मी शकुन्तला देवी के शरीर पर दो जख्मी होने की बात कही है जिसमें हाथ पर कारित जख्म की प्रकृति फैक्चर होने के कारण गंभीर बतायी है। साक्षी ने बुलो देवी के भी शरीर पर दो साधारण प्रकृति के जख्म पाये

Virendra Kr. Chaubey 12/3/24

जाने की बात कही है चिकित्सक द्वारा सूचिका के साक्ष्य की सम्पुष्टि की गयी है उनका यह भी कथन है **अभियोजन साक्षी संख्या–7 संजय कुमार** ने भी अपने साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी माँ को लाठी–डंडा से मारकर हाथ तोड़कर गाली–गलौज किया गया। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को सफलता पूर्वक सिद्व किया गया है इस प्रकार दोष मुक्ति के योग्य है।

विनिश्चयन

15. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों का सुक्ष्मता से विश्लेषण करने विदित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोप–पत्र में नामित कुल 09 साक्षियों में कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है उनमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 हरेराम, अभियोजन साक्षी संख्या–2 गुलो देवी, एवं अभियोजन साक्षी संख्या–6 राजीव कुमार ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है तथा अभियोजन के निवेदन पर इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है ऐसे में उक्त तीनों साक्षियों का साक्ष्य अभियोजन वाद के संदर्भ में महत्वहीन हो जाता है।

अभियोजन की ओर से तथ्य पर प्रस्तुत अन्य साक्षियों में सर्वप्रथम **अभियोजन साक्षी संख्या–3 शकुन्तला देवी** जो इस वाद की सूचिका एवं जख्मी है ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि घटना के समय उसकी बकरी अभियुक्त के मंजिरा के खेत में चली गयी जब वह अपनी बकरी को पकड़ने गयी तो अभियुक्त मदन सिंह एवं अन्य व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया, और दुसाधनी कहकर गाली देने लगा। दुलो देवी उसे बचाने आयी तो उसे भी लाठी से पीठ पर मारा। दुलो देवी एवं उसे अभियुक्त जबरदस्ती अपने आवास के क्लिनिक पर ले गया जहॉ उनका इलाज किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने मंजिरा के खेत में उसके दाहिने हाथ में चोट लगने की बात कही है। उसके अलावा अन्य कोई चोट नहीं होने की बात कही है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं आयी है स्पष्ट है कि साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसका हाथ पकड़कर गाली–गलौज करने एवं उसके दाहिने हाथ में चोट लगने की बात कही हे। **अभियोजन साक्षी संख्या–4 राजेन्द्र पासवान** जो सूचिका का पति है ने भी अपने साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय जब उसकी पत्नी अपनी बकरी को खोजने गयी तो अभियुक्त उसकी पत्नी का हाथ पकड़ने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो दॉये हाथ पर लाठी से मार दिया लाठी मारने दॉया हाथ टूट गया। भुलो देवी बचाने गयी तो उसे भी सर पर मारकर जख्मी कर दिया। **अभियोजन साक्षी संख्या–7 संजय कुमार** ने भी अपने साक्ष्य में सूचिका द्वारा बकरी ढूढने जाने पर अभियुक्त द्वारा गुस्सा में आकर सूचिका को लाठी डंडा से मारकर हाथ तोड़ देने की बात एवं जाति सूचक शब्द दुसाधनी कहकर गाली देने की बात कही है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य पर प्रस्तुत तीनों साक्षियों ने सूचिका एवं अन्य भूलो देवी को अभियुक्त द्वारा मारकर जख्मी किये जाने की बात कही है। यद्यपि भूलों देवी ने अपने साक्ष्य में घटना की जानकारी से इन्कार किया है तथापि सूचिका जख्मी शकुन्तला देवी ने अभियुक्त द्वारा मारकर उसका हाथ तोड़ देने की बात कही है। **अभियोजन साक्षी संख्या–5 डाक्टर विनय कृष्ण प्रसाद** ने अपने साक्ष्य में जख्मी भूलो देवी के शरीर पर दो साधारण प्रकृति के जख्मपाये जानेकी बात कही है तथा जख्मी शकुन्तला देवी के शरीर परदो जख्म कारित होने की बात कही है जिनमें उसे चुतर पर कारित के जख्म साधारण बतायी है तथा उसके हाथ पर कारित जख्म में फैक्चर होने के कारण जख्मी

Virendra K. Chaubey
17/3/26

की प्रकृति गंभीर बतायी गयी है। इस चिकित्सक साक्षी द्वारा सूचिका एवं अन्य तथ्य पर प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य की सम्पुष्टि की गयी ।

16. अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा 342 भारतीय दंड़ विधान** के संदर्भ में सूचिका के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी ने सूचिका को अभियुक्त द्वारा अवरोध किये जाने की बात नहीं कही है तथा उक्त आरोप का समर्थन नहीं किया हैं जहाँ आरोप–अन्तर्गत धारा 504/34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा **3(1)(x) SC/ST Act** के आरोप का प्रश्न है तो इस संदर्भ में सूचिका ने अभियुक्त द्वारा साली दुसाधीन कहकर गाली देने की बात कही है तथा घटनास्थल पर एक अन्य व्यक्ति भूलों के उपस्थित होने की बात कही है। भूलों देवी ने अपने साक्ष्य में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा सूचिका के साक्ष्य की सम्पुष्टि नहीं की है **अभियोजन साक्षी संख्या–4 राजेन्द्र पासवान** ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कहा है उसने जो बयान दिया है वह सुनी–सुनायी बातों के आधार पर दिया है उसने अपने नजर से कुछ नहीं देखा है। **अभियोजन साक्षी संख्या–7 संजय कुमार** ने घटना के समय अपने दरवाजे पर होने की बात कही है तथा घटनस्थल पर जाने पर भूलो देवी एवं शकुन्तला देवी को जख्मी देखे जाने की बात कही है। उक्त साक्षियों से स्पष्ट है कि घटनास्थल पर सूचिका के अतिरिक्त भूलों देवी भी उपस्थित थी जिसने घटना का समर्थन नहीं किया है ऐसे में धारा–504/34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा **3(1)(x) SC/ST Act** की पुष्टि नहीं हो पाती हैं। धारा **3(1)(x) SC/ST Act** के आरोप के गठन हेत लोक दृष्टव्य स्थान पर जाति सूचक गाली–गलौज किया जाना आवश्यक है जहॉं अन्य व्यक्तियों द्वारा घटना देखी गयी हो, प्रस्तुत मामले में सूचिका के कथनानुसार केवल भूलों देवी हीं घटनास्थल पर उपसथित थी जिसने घटना का समथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन उक्त आरोपों को सिद्व करने में पुर्णतः असफल रहा है।

जहॉं तक आरोप अन्तर्गत **धारा 325 भारतीय दंड़ विधान** का प्रश्न है तो इस संदर्भ में सूचिका ने स्पष्ट कहा है कि अभियुक्त द्वारा उसका हाथ पकड़ लिया गया तथा मंजिरा के खेत में अभियुक्त द्वारा उसका हाथ तोड़ दिया गया। अन्य **अभियोजन साक्षी संख्या–4 राजेन्द्र पासवान तथा अभियोजन साक्षी संख्या–7 संजय कुमार** ने अभियुक्त द्वारा मारकर सूचिका शकुन्तला देवी का हाथ तोड़ देने की बात कही है। तथ्य पर प्रस्तुत उपरोक्त तीनों साक्षियों ने उक्त आरोप का समर्थन किया है। चिकित्सक **अभियोजन साक्षी संख्या–5 डाक्टर विनय कृष्ण प्रसाद** ने जख्म प्रतिवेदन को प्रर्दश अंकित कराते हुए सूचिका के हाथ में फैक्चर होने की पुष्टि करत हुए जख्म की प्रकृति गंभीर बतायी है। ऐसे में चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा **धारा 325 भा0द0वि0** के आरोप की पुष्टि हो जाती है। **धारा 325 भा0द0वि0** के अन्तर्गत अपराध के गठन हेत अभियुक्त द्वारा घोर उपहति कारित किया जाना पर्याप्त है प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा सूचिका का हाथ मारकर तोड़ देने व उसे गंभीर प्रकृति की उपहति कारित करने की पुष्टि अभियोजन साक्षियों से होती है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा 325 भारतीय दंड़ विधान** के आरोप को सिद्व करने में अभियोजन युक्तयक्त संदेह सेपरे साबित करने में सिद्व करने सफल रहा है तथा अभियुक्त दोष–सिद्धि के योग्य है।

Virendra Kr Chaubey 17/3/26

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा

In the court of Virendra Kumar Chaubey, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No-1851/2012 State vrs. Madan Prasad Singh

आदेश

17. एतद्, मैं अभियुक्त **मदन प्रसाद सिंह** को धारा **342/34, 504/34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act.** के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता हैं परन्तु अभियुक्त को धारा **325 भारतीय दंड़ विधान** के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं। दोषसिद्ध अभियुक्त का बंधपत्र खंडित करते हुये उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित एवं उद्घोषित किया गया।

Virendra Kr Chaubey 17/3/26
(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –**17-03-2026**

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

पश्चात्
17-03-2026

18. दंडादेश के बिन्दु पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री संध्या कुमारी का कथन हैं कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध हैं तथा अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर नहीं हैं। अतः इन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध करते हुए कथन किया गया हैं कि अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने योग्य नहीं हैं। अतः इनको सारवान् दंडादेश से दंडित किया जाय।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अवलोकन के पश्चात् यह दर्शित होता हैं कि अभिलेख पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं तथा अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर प्रतीत नहीं होती हैं। विचारण के दौरान अभियुक्त के द्वारा समुचित रूप से विचारण में सहयोग किया गया हैं। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 04** का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। परिणामस्वरूप दोषसिद्ध अभियुक्त **मदन प्रसाद सिंह** को परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 04** के अन्तर्गत उसे तीन वर्ष तक परिशांति कायम रखने हेतु 10,000/– रूपये का प्रतिभू रहित बंधपत्र दाखिल करने पर अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित एवं उद्घोषित किया गया।

Virendra Kr Chaubey 17/3/26
(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –**17-03-2026**